



F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/460/2015-16/Vol-IX/12991

Date : 19.11.2024

**उचित माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में विस्तार**  
**EXTENSION OF LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION**  
**THROUGH PROPER CHANNEL**

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई के अधिकार क्षेत्र में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर निवारक अधिकारी के ग्रेड में प्राधिकृत अधिकारी के पद को भरने के लिए सीपज़ वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 11.07.2024 तथा विस्तार नोटिस दिनांक 04.11.2024 के फ़ा.सं. SEEPZ-SEZ/ADMIN/460/2015-16/Vol-IX/12499 के अनुसार रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में, उचित माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन के लिए यानी 01.12.2024 तक बढ़ा दी गई है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने एपीएआर के मानदंड को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया है।

3. परीक्षक/सीजीएसटी निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी भी पात्र हैं और इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. विज्ञापन परिपत्र की सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

5. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट [www.seepz.gov.in/vacancy](http://www.seepz.gov.in/vacancy) देखें।

6. यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

In reference to the Vacancy Circular dated 11.07.2024 and Extension Notice dated 04.11.2024 vide F.No. SEEPZ-SEZ/ ADMIN/ 460/2015-16/Vol-IX/12499 published on the SEEPZ website for filling up the post of Authorised Officer in the grade of Preventive Officer on deputation basis for a period of 3 years under the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai, the last date for submission of applications through proper channel has been extended for a period of 15 days i.e. up to 01.12.2024.

2. The Competent Authority has relaxed the criteria of APAR from 3 years to 2 years.

3. The Officers in the Cadre of Examiners/ CGST Inspectors are also eligible and may apply for this post.

4. The contents of the Vacancy Circular will remain unchanged.

5. For detailed information, please visit this office website [www.seepz.gov.in/vacancy](http://www.seepz.gov.in/vacancy).

6. This issues with the approval of Development Commissioner SEEPZ-SEZ.

(सी.पी.एस. चौहान / C. P. S. Chauhan)  
संयुक्त विकास आयुक्त / Jt. Development Commissioner  
सीपज़-सेज़, मुंबई / SEEPZ-SEZ, Mumbai